

INDIAN STATISTICAL INSTITUTE  
203, B. T. ROAD, KOLKATA : 108



No.C 14 /RBC

19 April 2016.


**OFFICE MEMORANDUM**

**Sub : Grant of Dearness Relief to the Pensioners/Family Pensioners of the Institute. Revised rate effective from 01 January 2016.**

A reference is invited to this Office Memorandum No.C 107/RBC dated 28 October 2015 on the subject mentioned above. Pursuant to the decision of the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension & Pensioners' Welfare, as communicated vide their O.M. F.No.42/06/2016-P&PW (G), dated 11 April 2016, the rate of Dearness Relief (DR) payable to the Pensioners/Family Pensioners of the Institute shall be enhanced from the existing rate of 119% to 125% with effect from 01 January 2016.

2. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.
3. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Institute O.M. No.C1118/RBC dated 26 July 2001 and further to Institute O.M. No.C1529/RBC dated 13 November 2009 as amended vide Department's O.M. F.No.38/88/2008-P & PW (G), dated 09 July 2009. The provisions relating to regulation of DR where pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

This issues with the approval of the Director, Indian Statistical Institute, Kolkata.

  
( Col. S. Chakraborty )  
Chief Executive (Admn. & Finance)

- Copy to :
1. Heads of all Divisions/Departments/Sections/Units etc. and Outlying Centres/Offices etc.
  2. Retirement Benefit Cell with 5 extra copies.
  3. Personnel Unit with extra 2 copies.
  4. Accounts Section with 5 extra copies.
  5. Director's Office with 2 extra copies.
  6. CE (A & F)'s Office with 2 extra copies.
- dd.
7. Pensioner's Association with 2 extra copies.

# भारतीय सांख्यिकीय संस्थान

203, बी.टी. रोड, कोलकाता -108



सं. सी. 14 /आर.बी.सी

19 अप्रैल, 2016


## कार्यालय जापन

**विषय : संस्थान के पेंशनभोगियों / परिवार पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी -  
संशोधित दर 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी ।**

उपर्युक्त विषय में इस कार्यालय के जापन संख्या सी 107/ आर.बी.सी. दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 का अवलोकन किया जाए । भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय जापन एफ सं. 42/06/2016-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(जी), दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के अनुसरण में संस्थान के पेंशनभोगियों/ परिवार पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत की दर को 119% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 01 जनवरी, 2016 के प्रभाव से 125% कर दिया जाएगा ।

2. महंगाई राहत के भुगतान में अंतर्ग्रस्त किसी रुपये के अंश को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
3. नियोजित परिवार पेंशनभोगियों एवं पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों की बाबत महंगाई राहत की मंजूरी को शासित करनेवाले अन्य प्रावधान विभाग के कार्यालय जापन एफ सं. 38/88/2008-पी एंड पी डब्ल्यू (जी), दिनांक 09 जुलाई 2009 द्वारा यथा संशोधित संस्थान के कार्यालय जापन सं. सी 1118/आर.बी.सी. दिनांक 26 जुलाई 2001 एवं कार्यालय जापन सं. सी 1529 / आर सी दिनांक 13 नवंबर 2009 में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगे । जो पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनके मामले में महंगाई राहत के विनियमन से संबंधित प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे ।

यह निदेशक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

  
(कर्नल एस. चक्रवर्ती)

मुख्य कार्यपालक (प्रशा. एवं वित्त)

- प्रतिलिपि प्रेषित : 1. सभी प्रभागों / विभागों / अनुभागों / यूनिटों आदि एवं बहिर्वर्ती केन्द्रों / कार्यालयों आदि के प्रमुखों को ।
2. सेवानिवृत्ति हितलाभ कक्ष को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
  3. कार्मिक यूनिट को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
  4. लेखा अनुभाग को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
  5. निदेशक के कार्यालय को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
  6. मुख्य कार्यपालक (प्रशा. एवं वित्त) के कार्यालय को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
  7. पेंशनभोगी संघ को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित ।